परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

## परियोजना का औचित्य

शासनादेश संख्या 2490/111(2)/ 08–61 (प्रा.आ.)/ 2007 दिनांक 25.07. 2008 द्वारा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 10 कि0मी0 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 473.11 लाख के लिए प्रदान की गयी है।

शासन द्वारा विकास खंड, गरूड़ में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/06/150/ 2005/एफसी./ 2991 दिनांक 20.02.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी. आई.–1047/7–1–2006/600/ (1151) / 2005 दिनांक 10.03.2006 द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत नया मोटर मार्ग इस मार्ग का विस्तार है जो मल्ला पयां नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है एवं सर्वेक्षण उपरान्त दाबू हड़ाप तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 9.50 कि0मी0 आती है।

अनुसूचित जाति बाहूल्य ग्राम दाबू हड़ाप ग्रामसभा सिमगढ़ी विकास खंड गरूड़ के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में जनपद बागेश्वर एवं सीमान्त जनपद चमोली की सीमा में स्थित है और अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। वर्तमान में यातायात के साधन न होने से स्थानीय जनता को अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को पहाड़ी दुर्गम रास्तों से धोड़े व खच्चरों के माध्यम से लाना पड़ता है। सीमित कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि, बागवानी एवं पशुपालन है। दूरस्थ क्षेत्र में होने एवं घोड़े खच्चरों के माध्यम से ढुलान व्यय अधिक होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और ना ही कोई कर्मचारी इन दूरस्थ क्षेत्र में अपनी सेवायें देने को तैयार होते हैं जिससे यह क्षेत्र शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा में काफी पीछे है। इस मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त ग्रामों की 1108 जनता का गरूड़ तहसील एवं बाजार से सीधा सम्पर्क होने के साथ ही महत्वाकांशी 108 चिकित्सा सेवा का लाभ मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे जिससे शहरों की ओर पलायन रूकेगा। इस मार्ग के निर्माण से होने वाले लाभ का विस्तृत सांख्यकीय विवरण प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विवरण में दिया गया हैं। इस मार्ग के संरेखण में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार कुल 6.06 है0 वन भूमि एवं 417 चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। मोटर मार्ग निर्माण के समय यथा सम्भव कम से कम वृक्षों का पातन सुनिश्चित किया जायेगा। यह चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है, मोटर मार्ग निर्माण के उपरान्त आगामी 5 वर्षों के अन्दर प्राकृतिक रूप से चीड़ का घना जंगल पुनः स्वतः ही बन जायेगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारो की नाम भूमि के अलावा समस्त भूमि वन भूमि की श्रेणी में ली गयी है और कास्तकारों के पास सीमित मात्रा में नाप भमि होने के कारण जनहित की योजनाओं के लिए वन भूमि उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है अतः प्रस्तुत प्रस्ताव पर वन भूमि की स्वीकृति औचित्यपूर्ण एवं अपरिहार्य है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर